

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला—4, 7 मार्च, 2011

संख्या : वि० स० (विधायन) विधेयक/1-6/2011.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 10) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व—साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि�० प्र० विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन।—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(8—क.) “पशु” से पालतू पशु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंस, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, बधिया घोड़ा, टट्टू, बछेड़ा, बछेड़ी, खच्चर, गधा, सुअर, मेड़ा, भेड़ी, भेड़, मेमना, बकरी और उस के मेमने सम्मिलित हैं, ”।

3. धारा 84 का संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 84 में,—

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु खण्ड (ख) के अधीन कोई कर तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जब तक नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों या प्रभावित पक्षकारों को विहित रीति में आक्षेप करने का अवसर न दे दिया गया हो और आक्षेप, यदि कोई प्राप्त हुए हों, पर विचार नहीं कर लिया गया हो।”; और

(ख) उपधारा (2), (3), (4) और (5) का लोप किया जाएगा।

4. धारा 85 का प्रतिस्थापन।—मूल अधिनियम की धारा 85 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“85. फीस और उपयोक्ता प्रभार।— निगम स्वयं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवा के लिए, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी निगम द्वारा समय—समय पर अवधारित की जाए, फीस और उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत कर सकेगा।”।

5. धारा 86 का प्रतिस्थापन।—मूल अधिनियम की धारा 86 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“86. भूमि और भवनों पर कर की दर।—इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर भूमि और भवनों पर कर की इकाई क्षेत्र दर, भूमि और भवन के करयोग्य मूल्य, एक प्रतिशत से पच्चीस प्रतिशत के बीच होगा, जो निगम द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाए :

परन्तु निगम भूमि और भवनों या उनके किसी भाग, जिसका उपयोग केवल लोक पूजा के प्रयोजन के लिए किया जाता है और खाली भूमि और भवनों के क्षेत्र या उनके भाग, जिन्हें लोक कब्रस्तान के प्रयोजन के लिए या श्मशान भूमि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या जिसे मृतक की अन्तर्येष्टि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर कर की दर में पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगा या निम्नतर दर उद्गृहीत कर सकेगा ।” ।

6. **धारा 87 का लोप**—मूल अधिनियम की धारा 87 का लोप किया जाएगा ।

7. **धारा 88 का प्रतिस्थापन**—मूल अधिनियम की धारा 88 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“88. करों के निर्धारण के लिए भूमि और भवनों के करयोग्य मूल्य का अवधारण.—धारा 86 में विनिर्दिष्ट करों के निर्धारण के लिए भूमि और भवनों के कर योग्यमूल्य का अवधारण निम्न प्रकार से होगा,—

(क) भूमि की दशा में करयोग्य मूल्य, भूमि के वास्तविक क्षेत्र के प्रतिवर्ग मीटर को कर की इकाई क्षेत्र दर द्वारा गुणित करके और विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों पर आधारित होगा तथा भवन की दशा में करयोग्य मूल्य स्तम्भमूल क्षेत्र (प्लिंथ ऐरिया) के प्रति वर्गमीटर को कर की इकाई क्षेत्र दर द्वारा गुणित करके और विशेष क्षेत्र के लिए विहित सुसंगत कारकों पर आधारित होगा ।

(ख) भूमि और भवनों पर कर के उद्ग्रहण के लिए सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र के भिन्न-भिन्न मूल्यों (उपयोगिता) वाले सुसंगत कारक होंगे ।

(ग) इकाई क्षेत्र कर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए पांच कारक होंगे, अर्थात् (i) अवस्थिति, (ii) अधिभोगिता, (iii) भवन की मियाद, (iv) भवन का उपयोग और (v) अवसंरचना का प्रकार। प्रत्येक कारक की अलग-अलग क्षेत्र के लिए भिन्न-भिन्न उपयोगिता होगी जो निगम द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर के उद्ग्रहण, संगणना और निर्धारण के लिए पद्धति, जो भवनों के श्रेणीकरण, परम्परागत उपयोग, या भवनों के संविभाजन से सम्बन्धित है, या खाली भूमि और खुले स्थान, जो भूमि और भवन के भाग हैं, उपविधियों द्वारा विहित की जा सकेगी:

परन्तु भवन के करयोग्य मूल्य पर, भवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों के लेखे में दस प्रतिशत की वार्षिक कटौती अनुज्ञात की जाएगी तथा कर की राशि पर दस प्रतिशत की छूट भी अनुज्ञात की जाएगी, यदि बिल में विनिर्दिष्ट कर की राशि को, ऐसे बिल की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदर्त्त कर दिया गया है, तथापि यह छूट उन व्यतिक्रमियों को लागू नहीं होगी जिन पर कर का बकाया है ।” ।

8. **धारा 89 का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा 89 में विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन और नियन्त्रणाधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कम्पनियां, इस अधिनियम या तदधीन बनाई गई उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन कर के लिए निर्धारणीय होंगी और निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवा के बदले में, यथास्थिति, फीस या सेवा प्रभारों को संदर्त्त करने के लिए दायी होंगी ।” ।

9. धारा 90 का प्रतिस्थापन।—मूल अधिनियम की धारा 90 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“90. भूमि और भवनों पर करों का भार.—(1) भूमि और भवनों पर कर मूलतः मालिक से उद्ग्रहणीय होगा और मालिक की अनुपस्थिति में यह किराएदारों सहित, अधिभोगी से उद्ग्रहणीय और वसूलीय होगा।

(2) भूमि और भवन पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण और संदाय, किसी भी रीति में न तो स्वामी का या न तो अधिभोगी का सम्पत्ति में कोई अधिकार, हक या हित प्रदत्त नहीं करेगा और न ही इस तथ्य का साक्ष्य होगा कि भवन या परिसर प्राधिकृत है तथा इसके अतिरिक्त भी कि कोई भवन या परिसर या उसका कोई भाग, जो इस अधिनियम, विनियमों या तदधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के उल्लंघन में परिनिर्मित है, पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूमि और भवनों पर कर के निर्धारण के फलस्वरूप विनियमितकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।”।

10. धारा 91,102 और 107 से 114 तक का लोप।—मूल अधिनियम की धारा 91, 102 और 107 से 114 का लोप किया जाएगा।

11. धारा 115 का संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 115 में,—

(क) शीर्षक में ‘‘कर’’ शब्द के स्थान पर ‘‘फीस’’ शब्द रखा जाएगा; और
(ख) उपधारा (1) में “सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट” शब्दों के स्थान पर “निगम द्वारा विनिर्दिष्ट” शब्द रखे जाएंगे।

12. धारा 120 का लोप।—मूल अधिनियम की धारा 120 का लोप किया जाएगा।

13. धारा 157 का संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 157 में खण्ड (क से छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) आयुक्त, इस अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्थाई समिति के पूर्व अनुमोदन से, लोक नीलामी द्वारा निगम से सम्बन्धित किसी जंगम (चल) या स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विक्रय द्वारा, पट्टे पर या अन्यथा व्ययन कर सकेगा;
(ख) स्थावर (अचल) सम्पत्ति के अन्तरण की पद्धति और पुरोभाव्य शर्त, निगम द्वारा बनाए गए विनियमों या उपविधियों द्वारा शासित होगी; और
(ग) आयुक्त, एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें स्थावर सम्पत्तियों का व्यौरा दिया जाएगा और उक्त तालिका में, ऐसी रीति में जैसी उप-विधियों द्वारा विहित की जाए, परिवर्तन, यदि कोई हो, दर्शित करते हुए वार्षिक विवरणी तैयार करेगा तथा उसे वर्ष के अन्त में विचार करने के लिए निगम के समक्ष रखेगा।”।

14. धारा 159 का संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 159 में,—

(क) खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(ग) प्रत्येक संविदा, जिसमें पांच लाख रुपए से अनधिक व्यय या ऐसी उच्चतर रकम, जिसे निगम नियत करे, अन्तर्वर्लित है, आयुक्त द्वारा की जाएगी;

(ख) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु पांच लाख रुपए के मूल्य से अधिक की या ऐसी उच्चतर रकम, जिसे निगम नियत कर सकेगा, की संविदा केवल निगम के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही आयुक्त द्वारा की जाएगी।”।

15. धारा 254 का संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 254 में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(6) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यदि भवन का स्वामी या अधिभोगी, स्वीकृति के बिना अनधिकृत निर्माण करता है या मंजूर प्लान (रेखांक) से विचलन करता है, किसी सरकारी भूमि या निगम में निहित भूमि पर भवन का निर्माण करता है अथवा किसी सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रास्ते या नाली को आच्छादित करता है या दुर्व्यपदेशन से अथवा भवन प्लान (रेखांक) की मंजूरी के लिए आवेदन करते समय बुनियादी तथ्यों को छुपाकर, मंजूरी प्राप्त करता है, तो आयुक्त, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विद्युत आपूर्ति (कनेक्शन), नागरिक सुविधाओं जिसके अन्तर्गत जल और मल प्रणाली कनेक्शन भी हैं, के स्थापन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार कर सकेगा या जारी किए गए को वापिस ले सकेगा।”।

16. नई धारा 254-क का अन्तःस्थापन।—मूल अधिनियम की धारा 254 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 254-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“254-क. अनधिकृत विकास या सन्निर्माण को सील करने की शक्ति— (1) धारा 253 या धारा 254 के अधीन भवन संकर्मों को गिराने या रोकने का आदेश करने से पूर्व या पश्चात्, किसी भी समय आयुक्त के लिए, ऐसे विकास को सील करने हेतु निर्देशित करने का आदेश ऐसी रीति में करना विधिपूर्ण होगा, जैसी निगम द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के प्रयोजन के लिए या ऐसे विकास के स्वरूप और विस्तार के कारण किसी वाद के निवारण के लिए बनाई गई उप-विधियों द्वारा विहित किया जाए।

- (2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी विकास (डिलेपमैन्ट) को सील किया गया है, वहां आयुक्त, ऐसे विकास को गिराने के प्रयोजन के लिए, सील को हटाने का आदेश कर सकेगा।
- (3) कोई भी व्यक्ति, ऐसी सील को, आयुक्त द्वारा उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश या इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में किए गए आदेश, के सिवाय नहीं हटाएगा।”।

17. नई धारा 324-क का अन्तःस्थापन।—मूल अधिनियम की धारा 324 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“324-क. पशुओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके अभिलेख का रखा जाना.—(1) प्रत्येक परिवार का मुखिया, अपने परिवार द्वारा रखे गए पशुओं के ब्यौरे, हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) अधिनियम,

2011 के आरम्भ होने से एक मास की अवधि के भीतर और तत्पश्चात् हर समय जब कभी किन्हीं कारणों से पशुओं की संख्या में बदलाव आता है, निगम को मौखिक रूप में या लिखित में देने या दिलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पशुओं के ब्यौरे की प्राप्ति पर निगम, पशु का रजिस्ट्रीकरण करेगा और उनके अभिलेखों को ऐसी रीति में बनाए रखेगा, जैसी निगम द्वारा अधिसूचित की जाएः

परन्तु निगम ऐसी दर पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित कर सकेगा, जैसी इसके द्वारा नियत की जाए।

- (3) निगम का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पशु पर समुचित पहचान चिन्ह लगाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए कर्मचारियों या व्यक्तियों की सहायता करे और पहचान का अभिलेख बनाए रखे।
- (4) यदि पहचान चिन्ह वाला कोई पशु आवारा पाया जाता है, तो पशु के मालिक को निगम द्वारा बनाए रखे गए अभिलेख से पहचाना जाएगा और ऐसा मालिक, प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा, जिसे आयुक्त द्वारा या उस द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।
- (5) यदि निगम, ऐसे आवारा पशु के पहचान चिन्ह के साथ छेड़छाड़ करने या उसको विकृत करने के कारण पहचान करने में असफल रहता है, तो वह मामले की रिपोर्ट नजदीकी पशुपालन विभाग के प्रभारी को करेगा, जो आवारा पशु को नजदीकी गौशाला में रखवाएगा।

18. धारा 396 का संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 396 में,—

(क) मूल अधिनियम के राजभाषा पाठ में ‘(1)’ चिन्ह और अंक पहले ही विद्यमान हैं।

(ख) उपधारा (1) में “पांच सौ रुपए” और “पचास रुपए”, शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां ये आते हैं, क्रमशः “पचास हजार रुपए” और “पांच हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

19. धारा 397 का प्रतिस्थापन।—मूल अधिनियम की धारा 397 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“397. उप-विधियों के बारे में अनुपूरक उपबंध।—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त उप- विधियां बनाने की कोई शक्ति इस शर्त के अध्यधीन प्रदत्त की गई है कि उप-विधियां निगम द्वारा, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, लोक आक्षेपों को आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् बनाई जा रही हैं।

परन्तु राज्य सरकार ऐसी किसी उपविधि को, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल पाई जाती है, को रद्द कर सकेगी और तदुपरि उपविधि प्रभावहीन हो जाएगी।”।

20. नई धारा 402-क का अन्तर्स्थापन।—मूल अधिनियम की धारा 402 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तर्स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“402 क. पुनर्विलोकन की शक्ति—आयुक्त, स्वयं या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पारित आदेश का, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 के उपबंधों के अनुसार पुनर्विलोकन कर सकेगा और तदनुसार उसे उपान्तरित या उलट सकेगा।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अध्याय 8 के अन्तर्गत नगर निगम की सीमाओं के भीतर भूमि और भवनों के अधिभोगियों से करों और फीसों का उद्ग्रहण करने के मूलभूत अधिकार के साथ—साथ करों और फीसों की वसूली के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं भी अधिकथित हैं। सम्पत्ति कर नगर निगम सहित समस्त शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है। नगर निगम की दशा में, यह राजस्व सृजन का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है। वर्तमान में कर का निर्धारण सकल वार्षिक भाटक (किराया) पर किया जाता है और जहां किसी भूमि या भवन का सकल वार्षिक भाटक (किराया) निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां उसका निर्धारण भवन निर्माण की लागत और भूमि की लागत पर किया जाता है। तेरहवें वित्त आयोग का भी यह निश्चित विचार है कि समस्त शहरी स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर उद्गृहीत करने हेतु समर्थ बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में कोई भी बाध्यता हो, उसे दूर किया जाना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों के हालात सरकार को तेरहवें वित्त आयोग वितरण के अनुसार 1—4—2011 से 31—3—2015 तक मिलने वाले निष्पादन योजक अनुदान को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाएंगे। यहां यह कहना प्रासंगिक रहेगा कि शिमला शहर को, “**जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण अभियान**” (जे एन एन यू आर एम) के अधीन एक अभियान शहर घोषित किया गया है और उक्त अभियान के अधीन सम्पत्ति कर सुधार को, स्वैच्छिक अनुपालनों को प्रोत्साहित करने वाली साधारण, पारदर्शी, अवैयेकिक और साम्यापूर्ण सम्पत्ति कर प्रणाली (प्रार्पटी टैक्स रेजीम) की स्थापना के व्यापक उद्देश्य सहित, सम्पत्ति कर के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण की पद्धति की बाबत नगरपालिकाओं द्वारा निष्पादित किए जाने आज्ञापक सुधारों में से एक विहित किया गया है। सम्पत्ति कर के निर्धारण और उद्ग्रहण के लिए प्रक्रिया को साधारण बनाने के लिए भूमि के प्रति वर्ग मीटर वास्तविक क्षेत्रफल और भवन के प्रति वर्ग मीटर स्तम्भमूल क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) पर आधारित अनुपातिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारण को स्वीकृत प्राचल, अर्थात् अवस्थिति, अधिभोग, भवन की मियाद, भवन के उपयोग और निर्मितियों के प्रकार पर, प्रस्तावित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निगम के साथ साथ आयुक्त की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाना भी अनिवार्य है, तथा निगम की आय में सुधार लाने और प्रशासनिक विलम्बों को कम करने तथा विकासात्मक क्रियाकलापों के शीघ्र निष्पादन को सुकर बनाने के लिए आयुक्त और निगम की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाना प्रस्तावित है क्योंकि पूर्वोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध विभिन्न विकासात्मक संकर्मों का उत्तरदायित्व लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, धारा 396 के अधीन उपबंधित उप-विधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति, अपराध की गंभीरता की तुलना में नाममात्र ही है, इसलिए, उप-विधियों का कड़ा करना भी प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में पूर्वोक्त अधिनियम में अनधिकृत निर्माण को सील करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है और न ही आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन का उपबंध है।

अतः अनधिकृत निर्माण को सील करने हेतु आयुक्त को सशक्त बनाने के लिए उपबंध करने के साथ पुनर्विलोकन का उपबंध करना भी प्रस्तावित किया गया है, ताकि उपबन्धों को और अधिक भयोपरापी बनाया जा सके।

सके। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुरूप पशुओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके अभिलेख के अनुरक्षण की बाबत एक नया उपबंध भी प्रस्तावित किया गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह)
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख: —2011.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2011

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) BILL, 2011**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the ‘principal Act’), after clause (8), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(8-a). “cattle” means domestic animals and includes elephants, camels, buffaloes, cows, oxen, horses, mares, geldings, ponies, colts, fillies, mules, asses, pigs, rams, ewes, sheep, lambs, goats and kids;”.

3. Amendment of section 84.—In section 84 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that no tax shall be imposed under clause (b) unless an opportunity has been given in the prescribed manner to the residents of the municipal area or to the affected parties to file objections and the objections, if any, thus received have been considered.”; and

(b) sub-sections (2), (3), (4), and (5), shall be omitted.

4. Substitution of section 85.—For section 85 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“85. Fee and users charges.—The Corporation may levy a fee and user charges for the services provided by it at such rates and in such manner as may be determined by the Corporation from time to time.”.

5. Substitution of section 86.—For section 86 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“86. Rate of tax on lands and buildings.—Save as otherwise provided in this Act, the unit area rate of tax on lands and buildings within the municipal area shall be between one per cent to twenty five per cent of the rateable value of land and building, as may be determined by the Corporation from time to time:

Provided that the Corporation may exempt wholly or partially or levy lower rate of tax on the lands and buildings or portion thereof, which is exclusively used for the purpose of public worship and the area of vacant lands and buildings or portion thereof, exclusively used for the purpose of public burial or as a cremation ground, or any other place used for the disposal of dead.”.

6. Omission of section 87.—Section 87 of the principal Act shall be omitted.

7. Substitution of section 88.—For section 88 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“88. Determination of rateable value of lands and buildings assessable to taxes.—The rateable value of lands and buildings assessable to taxes specified in section 86 shall be,—

- (a) in the case of land, the rateable value shall be based upon per square metre of the actual area of land multiplied by the unit area rate of tax and relevant factors prescribed for the particular zone and in the case of building, the rateable value shall be based upon per square metre of plinth area multiplied by unit area rate of tax and relevant factor prescribed for the particular zone.
- (b) for levy of tax on lands and buildings, the entire municipal area shall be divided into different zones and each zone shall have relevant factors having different values.
- (c) for the purpose of determination of unit area tax, there shall be five factors i.e (i) location, (ii) occupancy, (iii) age of building, (iv) use of building and (v) type of structure. Each factor shall have different value for different zone as may be determined by the Corporation, from time to time.
- (d) the mode for levy, calculation and assessment of tax as per provisions of this Act, which relates to the classification, usages of the buildings or apportionment of buildings, or vacant land and open spaces forming part of the land and building shall be prescribed by bye-laws:

Provided that annual deduction of ten per cent on the rateable value of building shall be allowed on account of repair and maintenance expenses necessary for the maintenance of the building and a rebate of ten per cent shall also be allowed on the amount of tax, in case the amount of tax specified in the bill is paid within fifteen days

from the date of receipt of such bill, however, this rebate shall not be applicable in the case of defaulters who are in arrear of tax.”.

8. Amendment of section 89.—In section 89 of the principal Act, for the existing second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the public sector undertakings or companies owned and controlled fully or partially by the Central Government shall be assessable to taxes under the provisions of this Act or bye-laws made thereunder, and shall also be liable to pay fee or service charges, as the case may be, in lieu of services provided by the Corporation.”.

9. Substitution of section 90.—For section 90 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“90. Incidence of taxes on lands and buildings.—(1) The taxes on lands and buildings shall be primarily leviable upon the owner and in the absence of owner, it shall be leviable and recovered from the occupier including tenants.

(2) The assessment, levy and payment of tax on land and building shall not in any manner confer any right, title or interest in the property upon either on the owner or the occupier and shall not be a proof of the fact that the building or premises is authorized one and further that any building or premises or part thereof which is erected in contravention of the provisions of this Act, regulations or bye-laws made thereunder, shall not be considered for regularization by virtue of being assessed to tax on lands and buildings under the provisions of this Act.”.

10. Omission of sections 91, 102 and 107 to 114.—Sections 91, 102 and 107 to 114 of the principal Act shall be omitted.

11. Amendment of section 115.—In section 115 of the principal Act,—

- (a) in the heading, for the word “tax”, the word “fees” shall be substituted; and
- (b) in sub-section (1), for the words “specified by the Government”, the words “specified by the Corporation” shall be substituted.

12. Omission of section 120.—Section 120 of the principal Act shall be omitted.

13. Amendment of section 157.—In section 157 of the principal Act, for clauses (a) to (g), the following clauses shall be substituted, namely:—

- “(a) the Commissioner, with the prior approval of the standing committee, constituted under sub-section (4) of section 40 of this Act, may dispose of, by sale, lease or otherwise, any moveable or immovable properties belonging to the Corporation, by public auction;
- (b) the mode and condition precedent to the transfer of immovable property, shall be governed by regulations or bye-laws made by the Corporation; and
- (c) the Commissioner shall maintain a register giving therein the detail of the immovable properties and prepare annual statement indicating the changes, if any, in the said

inventory, in such manner as may be prescribed by bye-laws, and shall place the same before the Corporation for consideration at the end of the year”.

14. Amendment of section 159.—In section 159 of the principal Act,—

- (a) for clauses (c) and (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) every contract involving an expenditure not exceeding rupees five lac or such higher amount as the Corporation may fix, may be made by the Commissioner:
- (b) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the contract exceeding rupees five lac in value or such higher amount as the Corporation may fix, shall be made by the Commissioner only after prior approval of the Corporation.”.

15. Amendment of section 254.—In section 254 of the principal Act, for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:—

“(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Commissioner, may, after affording an opportunity of being heard, deny or withdraw the no objection certificate issued for installation of electricity connection, the civic amenities including water and sewerage connection, if the owner, or the occupier of the building carry out unauthorized construction without sanction or make deviations from the sanctioned plan, erection of a building on any Government land or land vested in the Corporation, or by covering any public road, street, path or drain or obtain sanction on mis-representation or by concealing material facts at the time of making the application for sanction of building plan.”.

16. Insertion of new section 254-A.—After section 254 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

“254-A. Power to seal unauthorized development or construction.— (1) It shall be lawful for the Commissioner, at any time, before or after making an order of demolition or stoppage of building works under section 253 or section 254 to make an order directing the sealing of such development in the manner as may be prescribed by bye-laws made by the Corporation for the purpose of carrying out the provisions of this Act, or for preventing any dispute as to the nature and extent of such development.

- (2) Where any development has been sealed under sub-section (1), the Commissioner may, for the purpose of demolishing such development, order the seal to be removed.
- (3) No person shall remove such seal except, under an order made by the Commissioner under sub-section (2) or under an order of the appellate authority made in an appeal under this Act.”.

17. Insertion of new section 324-A.—After section 324 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"324-A. Registration of cattle and maintenance of their record.—(1) Head of every family shall be responsible to give or cause to be given, either orally or in writing, the details of cattle owned by his family to the Corporation within a period of one month from the commencement of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011, and thereafter, every time as and when any change in the number of cattle takes place by any reason.

(2) On receipt of the details of cattle under sub-section (1), the Corporation shall register cattle and shall maintain records thereof in such manner as may be notified by the Corporation:

Provided that the Corporation may charge registration fee at such rate as may fixed by it.

- (3) It shall be the duty of the Corporation to assist the officials or persons engaged by Animal Husbandry Department for applying appropriate identification mark on each cattle and to maintain the record of identification.
- (4) If any cattle with identification mark is found strayed, the owner of the cattle shall be identified by the Corporation from the record maintained by it and such owner shall be liable for penalty of rupees five hundred for the first offence which shall be imposed by the Commissioner or the Officer authorized by him in this behalf.
- (5) If the Corporation fails in identifying such stray cattle due to tempering with identification mark or mutilation thereof, it shall report the matter to the In-charge of the nearest Animal Husbandry Department who shall lodge the stray cattle to the nearest Goshala.”.

18. Amendment of section 396.—In section 396 of the principal Act,—

- (a) before the words and sign “Any bye-laws”, the brackets and figure “(1)” shall be inserted; and
- (b) in sub-section (1) as so re-numbered, for the words “five hundred rupees “ and “fifty rupees”, wherever these occur, the words “fifty thousand rupees” and “five thousand rupees “ shall respectively be substituted.

19. Substitution of section 397.—For section 397 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"397. Supplemental provisions respecting bye-laws.—Any power to make bye-laws conferred by this Act is conferred subject to the condition that bye-laws being made after previous publication by the Corporation, after having been published in Official Gazette for inviting public objections:

Provided that State Government may cancel any such bye-law if found to be contrary to the provisions of this Act or the rules made thereunder and thereupon the bye-law shall cease to have effect.”.

20. Insertion of new section 402-A.—After section 402 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

“402-A. Power to review.—The Commissioner may, on his own or on the application made by any of the party to the proceedings, review the order passed by him under this Act, in accordance with the provisions of order XLVII of the Code of Civil Procedure 1908, and may modify or reverse the same accordingly.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Chapter-VIII of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, there is substantive right to levy taxes and fees and also the procedures to be followed in connection with recovery of taxes and fees from the occupants of the lands and buildings within the limits of the Municipal Corporation. The property tax is the main source of revenue to all the Urban Local Bodies including the Municipal Corporation. In the case of Municipal Corporation, it is the single largest source of revenue generation. At present the tax is assessed on gross Annual Rent and where the gross Annual Rent of any land or building cannot be determined the same is assessed on the cost of erection of building and the cost of land. The 13th Finance Commission is also of the firm view that all Urban Local Bodies should be enabled to levy property tax and any hindrance in this regard must be removed. This will enable the Government to avail the performance linked grants that are to flow *w.e.f. 1.4.11 to 31.3.2015* as per 13th Finance Commission dispensation. It is pertinent to mention here that the Shimla city has been declared as one of the mission city under the “**Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission**” (JNNURM) and under the said mission, the property tax reforms has been prescribed as one of the mandatory reform to be carried out by the municipalities with regard to the method of levy, assessment and collection of property tax with the broad objective of establishing a simple, transparent, non-discretionary and equitable property tax regime that encourage voluntary compliances. In order to simplify the procedure for assessment and levy of property tax, the assessment has been proposed on accepted parameter i.e. location, occupancy, age of building, use of building and type of structures, by taking into consideration the rateable value based upon per square meter of the actual area of land and per square meter of plinth area of the building.

Further, it is imperative to enhance the financial powers of the Corporation as well as the Commissioner and in order to improve the income of the Corporation and also cut down the administrative delays and to facilitate expeditious execution of developmental activities, it has been proposed to enhance financial powers of the Commissioner and the Corporation, as the present provisions of the Act ibid are not adequate to undertake various developmental works. Further, penalty for contravention of bye-laws provided under section 396 is very nominal as compared to the gravity of offence. Therefore, in order to ensure strict compliance of bye-laws, it has been proposed to enhance the penalty and to make the provisions of the Act ibid more stringent. Further, at present, there is no provision in the Act to seal unauthorized construction and provision of Review by the

Commissioner. Thus, it has also been proposed to make a provision empowering the Commissioner to seal unauthorized construction and provision of Review, so as to make the provisions more deterrent. A new provision regarding registration of cattle and maintenance of record thereof has also been proposed on the analogy of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH)
Minister –in –Charge.

Shimla :
Dated : , 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—